छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 03/अमुस/श्रम/2016 रायपुर, दिनांक 28/03/2016

प्रति,

1. आयुक्त
   नगर पालिक निगम————————
2. मुख्य नगर पालिक आधिकारी
   नगर पालिका परिषद————————
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी
   नगर पंचायत————————

विषयः— भवन एवं अन्य सन्निर्माण उपकर अधिनियम 1996 के तहत उपकर के संबंध में।

——00——

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 की धारा 3(2) के अनुसार प्रदेश में प्रत्येक व्यैक्तिक एवं व्यावसायिक निर्माण की कुल लागत का 1 प्रतिशत 850 रूपये प्रति वर्गफीट अनुमानित लागत मानकर उपकर जमा किया जाना प्रावधानित है । मण्डल में लिये निर्णय अनुसार उक्त दर में वृद्धि करते हुये 850 के स्थान पर रूपये 1000 प्रति वर्गफीट अनुमानित लागत मानकर उपकर संग्रहण दिनांक 01.04.2016 से किया जाना है ।

अतः किसी भी भवन या व्यावसायिक परिसर के नक्शे अनुमोदित करते समय 1 प्रतिशत उपकर (Cess) की राशि (प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये) दिनांक 01.04.2016 से रूपये 1000 प्रति वर्ग फीट अनुमानित लागत मानकर कुल लागत का 1 प्रतिशत उपकर जमा कराने के उपरान्त ही नक्शे का अनुमोदन किया जावे ।

उपकर की यह राशि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के वेबसाईट cglabour.nic.in में पेमेंट गेटवे के माध्यम से जमा कराना सुनिश्चित करें ।

(एम.के. राउत)
अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग

क्रमांक 04/अमुस/श्रम/2016 रायपुर, दिनांक 28/03/2016

प्रतिलिपिः—

01. सहायक श्रमायुक्त, श्रम पदाधिकारी, जिला ———की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें ।
02 उप संचालक/सहायक संचालक , औ0स्वा0 एवं सुरक्षा ——— की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

28/3

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग

Scanned with CamScanner

(ii)

आवक क्र. 66/7/09
दिनांक 7/01/09 2009

छ.ग.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल
छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर

क्रमांक : रायपुर, दिनांक 03 जनवरी, 2009
प्रति

प्रमुख सचिव/सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक निर्माण/~~आवास एवं पर्यावरण/नगरीय प्रशासन,~~
~~पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वा.यां., जल संसाधन~~ विभाग,
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.) ।

विषय:-भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 तथा भवन एवं अन्य संन्निर्माण नियम के प्रभावशीलता विषयक ।

संदर्भ:-भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 के अंतर्गत निर्धारित नियमों का छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 13 जून, 2008

—0—

विषयांतर्गत संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि छ.ग. शासन श्रम विभाग द्वारा छ.ग. भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 दिनांक 13.06.2008 को छ.ग. राजपत्र में प्रकाशित किये जाकर छत्तीसगढ़ राज्य में उक्त अधिनियम को प्रभावशील किया गया है । भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा 7 (1) तथा तदअंतर्गत निर्धारित नियम 23 से 27 के अनुसार भवन एवं अन्य संन्निर्माण से संबंधित सभी स्थापनाओं का पंजीयन किया जाना अनिवार्य किया गया है । छ.ग. भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 251 के अंतर्गत श्रमायुक्त को मुख्य निरीक्षक नियम 23 में निहित प्रावधान के अंतर्गत अधिनियम की धारा 42 (2) के तहत श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के सभी सहायक श्रमायुक्तों तथा श्रम पदाधिकारियो को विज्ञापित अधिनियम के प्रयोजनार्थ पंजीकृत अधिकारी तथा सभी श्रम निरीक्षकों को उनके अपने कार्य क्षेत्र के अनुसार नियम 42 (3) के तहत निरीक्षक नियुक्त कर अधिसूचित भी किया गया है ।

अधिनियम की धारा 3 एवं तदअंतर्गत निर्धारित नियमों के अनुसार सभी संस्थानों के नियोजकों पर जिन्हें उक्त धारा लागू होती है, उन्हें अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा । इसी प्रकार भवन एवं अन्य संनिर्माण से संबंधित निर्माण श्रमिक जो 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच की आयु के है तथा उनके द्वारा भवन एवं अन्य संन्निर्माण कार्य में विगत वर्ष में कम से कम 90 दिवस निर्माण क्षेत्र में कार्य किया हो उनका हिताधिकारी के रूप में पंजीकरण कराया जावेगा ।

भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा 18 (1) एवं 18 (3) सहपठित नियम 251 के तहत छ.ग. भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का गठन भी किया जा चुका है । इस हेतु छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना दिनांक 10.09.2008 को प्रकाशित हुई है । असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के हित के लिये भवन निर्माता नियोजकों से निर्माण लागत का एक प्रतिशत की दर से ... भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 की

धारा 3 (1) के परिपालन में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.10.1996 के अनुसार मण्डल को देय होगा उक्त मण्डल कर्मकारों की हितों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाऐं जैसे वृद्धावस्था पेंशन, गृह निर्माण सहायता, मृत्यु की दशा में अन्तेष्टि एवं अनुग्रह सहायता, बीमा सहायता आदि में उपकर राशि का उपयोग किया जाना है ।

अतः आपसे यह आग्रह है कि कृपया आपके विभागों के अधिनस्थ जो निर्माण कार्य जिनकी लागत दस लाख या उससे अधिक है, उन समस्त संन्निर्माण कार्यो से संबंधित सभी संस्थानों के नियोजकों/ठेकेदारों को तत्काल निर्देश देने का कष्ट करें कि वे भवन एवं अन्य संन्निर्माण अधिनियम के तहत अपने संस्था का पंजीकरण करावें तथा अधिनियम का पालन करें । विषयांकित अधिनियम एवं तदअंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत जिन संस्थाओं/ठेकेदारों का पंजीयन नहीं कराया है उन्हें दस लाख या उससे अधिक की लागत का कोई निर्माण कार्य की निविदा में भाग लेने के लिए आपात्र घोषित करने के लिए कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे;

उपरोक्तानुसार पंजीकरण के पश्चात् संबंधित संस्थानों/ठेकेदारों से मण्डल को प्राप्त होने वाले निर्धारित उपकर राशि को विभागाध्यक्ष एवं संबंधित बजट नियत अधिकारी संबंधितो से वसूल कर सीधे मण्डल के खाते में जमा करने की कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

(एम.के.अग्रवाल)
सचिव
छ.ग.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार
कल्याण मण्डल
छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर

Scanned with CamScanner